Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

बौद्ध साहित्य में वर्णित नारी शिक्षा : एक अध्ययन

बबली सिंह
शोध छात्रा,
प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोध आलेख सार – बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुआ। बौद्ध संघ की छत्र–छाया में अनेक स्त्रियों ने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। परिवार में रहते हुए भी स्वतंत्रतापूर्वक बुद्ध, धर्म और संघ की सेवा करते हुए, धार्मिक कार्यों के लिए पर्याप्त दान देती थी तथा अनेक स्त्रियों ने स्वयं की विद्वता से संघ को गौरान्वित भी किया।

मुख्य शब्द – बौद्ध, साहित्य, नारी शिक्षा, बुद्ध, धर्म, संघ।

बौद्ध साहित्य में पुरुष एवं नारी दोनों की जीवनादर्श उपलब्ध कराने का लगभग एक समान अवसर प्रदान किया गया है, जो कि बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। महात्मा बुद्ध द्वारा नारियों को संघ में प्रवेश की अनुमति से न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार–प्रसार हुआ अपितु विहारों में रहने वाली भिक्षुणियों ने बौद्ध साहित्य की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे बौद्ध काल में अत्यन्त समृद्ध एवं विपुल साहित्य का सृजन हुआ। बौद्ध साहित्य में नारियों के शैक्षणिक जीवन का जो चित्रण हुआ है वो लगभग 500ई0 पू0 से 500ई0 तक का है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नारियों में शिक्षा एवं ज्ञान का पर्याप्त प्रचार–प्रसार था, तथा बौद्ध धर्म के उच्च व्यापक आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर भारतीय नारी तथा समाज के प्रायः प्रत्येक वर्ग ने अपने जीवन में सुधार कर लिये।

बौद्ध साहित्य में नारी शिक्षा का जो वर्णन हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि स्त्रियों की शिक्षा माता पिता के संरक्षण में होती थी। चुल्लकलिंग जातक में एक प्रसंग आता है कि वैशाली में पाँच सौ वादों में निपुण, निर्ग्रन्थ एवं दूसरी ओर विदुषी निर्ग्रन्थ भी आ पहुँची। राजाओं ने दोनों का शास्त्रार्थ कराया। दोनों बराबर रहे। तब लिच्छवी राजाओं ने सोचा इन दोनों से उत्पन्न संतान अवश्य ही मेधावी होगें, उन्होंने दोनों का विवाह करवाकर एक स्थान पर बसा दिया। दोनों से एक पुत्र एवं चार पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। कुछ समय पश्चात् इन पाँचों ने एक हजार वाद सीख लिया। माता–पिता ने पुत्रियों को यह निर्देश दिया कि कोई गृहस्थ शास्त्रार्थ में हरा दें तो

उसकी चरण दासिया बन जाना और यदि कोई प्रवजित हरा दे तो उसके पास प्रवजित हो जाना। उनकी मृत्यु के पश्चात् चारों बहनों ने जैन शाखा के शास्त्रार्थ के लिए नगर–नगर घूमना प्रारंभ कर दिया। अन्ततोत्गत्वा वे एक प्रवजित से पराजित हुई और प्रव्रजिकाएँ बन गईं।[1] इससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ माता–पिता के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त करती थी, इसके अतिरिक्त लड़कियों को पतिगृह में कैसे रहना चाहिए? किस तरह से पति की सेवा करनी चाहिए? उसके साथ किन–किन कार्यों में भाग लेना चाहिए आदि के सम्बन्ध में विवाह से पूर्व शिक्षा दी जाती थी।[2] अंगुत्तर निकाय में विवाह के पूर्व स्त्रियों की शिक्षा का एक प्रसंग इस प्रकार आया है– ''जब भगवान भोजन कर चुके और उन्होंने पात्र से अपना हाथ खींच लिया हो मेण्डक नाति उग्ग एक ओर बैठ गए, और भगवान बुद्ध से यह निवेदन किया– ''भन्ते! मेरी ये लड़किया पतिकुल जाएंगी, भगवान इन्हें उपदेश दे, भगवान इनका अनुशासन करें। जो दीर्घकाल तक इनके हित तथा सुख का कारण हो।'[3] तत्पश्चात् भगवान उपदेश देते हैं इससे कहा जा सकता है कि मेण्डक की पुत्रियों की शिक्षा कुछ भी नहीं थी, इनकों इसी तरह से उपदेश देकर पतिगृह भेजा जाता था।

बौद्ध काल में कन्याओं के विवाह की आयु 16वर्ष थी। जिससे उन्हें धर्म, दर्शन, ललित कला, संगीत इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। विदुषी स्त्रियों का वर्णन प्रायः समस्त बौद्ध साहित्य में मिलता है। जातक कथाओं में अनेक ऐसी ज्ञान पिपासु विदुषियों का उल्लेख मिलता है जो आजीवन चिन्तन एवं मनन में संलग्न रही, जैसे– रानी उदुम्बरा को 'शिक्षिता' तथा उमरा को 'विदुषी' कहा गया।[4] जातक कथाओं की तरह एक अन्य ग्रंथ 'खुद्दक निकाय' है जिसके एक अंश का नाम 'थेरीगाथा' है। थेरीगाथा में भिक्षुणी कवयित्रियों के काव्यमय हृदय उद्गारों से ज्ञात होता है कि वे ज्ञान पिपासु थी और ज्ञान के अन्वेषण एवं प्राप्ति में तल्लीन थी। थेरीगाथा में 73 बौद्ध भिक्षुणियों की गाथाएँ संग्रहीत है, जिनमें से 32 ज्ञान प्राप्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। अनेक स्त्रियों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने सिंहल द्वीप जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया।[5]

तत्कालीन समाज में पति पत्नी को छोड़ सकता था, इसलिए उन्हें गृहणी बनने की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी; किन्तु विशिष्ट परिस्थिति में स्त्रियाँ भी अपमानित करने वाले पतियों का त्याग करती थी और उनका पुनर्विवाह भी होता था। जिसका पता थेरीगाथा में वर्णित इसिदासी नामक भिक्षुणी के उद्गार से चलता है, जो इस प्रकार है–

''मेरी पिता ने मेरा विवाह कर दिया.....
अपने घर में प्राप्त शिक्षा के अनुसार मैं प्रतिदिन सांयकाल
और प्रातःकाल सास श्वसुर को प्रणाम करती।
नतमस्तक होकर उनकी चरण वन्दना करती.....
मेरा पति मेरा अपमान करने लगा.....
एतदन्तर, मेरे पिता ने एक अन्य कुल वाले धनाढ़य
पुरुष से मेरा विवाह कर दिया.....''[6]

इसिदासी के उद्‌गार से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्त्रियों को घर में शिक्षा दी जाती थी और वे अपनी प्राप्त शिक्षा के अनुसार सास–श्वसुर की, पति के परिवार तथा रिश्तेदारों की सेवा करती, दासियों की भांति पति की भी सेवा तथा गृह कार्य समेत अन्य कार्य करती थी।

स्त्रियों को संगीत, वाद्य आदि ललित कलाओं की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। जातक कथाओं में बहुत सी कन्याएँ व स्त्रियाँ सामूहिक गान करते हुए प्रदर्शित की गयी है। ऐसी नारियों के लिए 'कुसला नच्चगीतेसु' विशेषण का प्रयोग किया गया है।[7] मातंग जातक में वीणादि वाद्ययंत्रों तथा नर्तकियों के वर्णन से स्त्रियों में ललित कला के विकास एवं लोकप्रियता का ज्ञान होता है।[8] जातक कथाओं में गायन एवं वादन में दक्ष तरुणी नटी का वर्णन प्राप्त होता है, जो अपने रूप एवं सौन्दर्य से राजा के पुत्रों को मोहित करती थी।[9] ललित कलाओं के अतिरिक्त स्त्रियों को व्यवसायिक शिक्षा जैसे– उद्योग–धन्धे, कताई–बुनाई, सिलाई इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी, जिसे स्त्रियाँ आपत्तिकाल के समय अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए जीविकोपार्जन के रूप में अपनाती थी।[10] अगुत्तर निकाय में एक पत्नी अपने मुमुर्षु पति को आश्वासन दिलाया कि वह कताई–बुनाई करके परिवार का भरण–पोषण कर लेगी।[11] जहाँ तक दार्शनिक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसका प्रचलन केवल संघ में निवास करने वाली भिक्षुणियों और संभ्रान्त परिवारों तक ही सीमित था।

बौद्ध काल में स्त्रियों को गृहस्थ जीवन की शिक्षा के साथ–साथ धार्मिक शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी तथा स्त्रियाँ भी धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेती थी। इन्हें धार्मिक कार्य करने में कोई प्रतिबंध नहीं था। प्रद्युम्न की बेटी 'कोकनदा' बुद्ध के सम्मुख उपस्थित होकर कहती है7

''मैंने यह अर्थवती गाथा कही।
यद्यपि
ऐसे (महान्) धर्म के विषय में,
संक्षेप में मैं उसक सार को कहती हूँ
(तथापि)
जहाँ तक मेरी बुद्धि की योग्यता है,
सारे संसार में कुछ भी पाप न करें.....
अनर्थ करने वाले दुख को न बढ़ावे।''[12]

इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को धर्म का अत्यधिक ज्ञान था। धर्म के सम्बन्ध में, बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी प्रव्रज्या लेने की अनुमति दी गयी। विनयपिटक में बुद्ध द्वारा स्त्रियों को संघ में प्रविष्ट होने की अनुमति देने का प्रसंग प्राप्त होता है।[13] स्त्रियाँ स्वभावतः पुरुषों की अपेक्षा धार्मिक कार्यों में अधिक रूचि लेती थी। थेरीगाथा में नन्दतुरा नाम की भिक्षुणी कहती है–

''मैं अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और अनेक देवताओं की पूजा वन्दना करती थी। नदी के घाटों में जाकर डुबकी लगाती थी। आधे सिर का मुण्डन, पृथ्वी पर सोना, रात्रि भोजन का त्याग.....''

इस प्रकार मैं अनेक व्रतों का पालन करती थी।[14] इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ अनेक प्रकार की लौकिक क्रियाएँ करती थी तथा इन क्रियाओं को करने की उन्हें पूर्ण अनुमति प्राप्त थी। तत्कालीन समाज में धार्मिक दृष्टि से नारियों तथा पुरुषों को समान ही माना जाता था। 'सोमा' भिक्षुणी जल समाधि की अवस्था में थी, तो उस समय मार सोमा भिक्षुणी को समाधि से विचलित करने वहाँ आया और उससे कहा– ''ऋषि लोग जिस पद को पाते हैं, उसका पाना बड़ा कठिन है। ''दो अंगुल भर प्रज्ञावली स्त्रियाँ''[15] उसे नही पा सकती है। तब सोमा भिक्षुणी ने उसके मन के विचार को जानकर कहा– ''जब चित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता है और धर्म का पूर्णतः साक्षात्कार होता है, तब स्त्री भाव क्या करेगा? जिस किसी को ऐसा विचार होता है कि मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ उसी से मार, तू ऐसा कह सकता है।''[16] सोमा भिक्षुणी ने वास्तव में मार को समुचित उत्तर दिया था और यह स्पष्ट कर दिया कि नारियों को धार्मिक कृत्य करने से उन्हें उचित फल मिलने में कोई प्रतिबन्ध नहीं आ सकता। भगवान् बुद्ध ने भी स्त्रियों की बुद्धि की प्रशंसा की है और कहा कि वे बड़ी बुद्धिमति होती है। सुलसा जातक में तथागत ने स्त्रियों की विवेचना करते हुए कहा है– ''स्त्रियाँ विलक्षण और पण्डिता होती है। सभी जगह पुरुष ही पण्डित नहीं होता, सूक्ष्म विचार करने वाली स्त्रियाँ भी पण्डिता होती है।''[17]

बाल्यावस्था में जो धार्मिक शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी, वे उसका पालन युवावस्था तक करती थी। यदि उनके मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होती थीं, तो वे निराकरण के लिए धर्म उपदेशकों के पास जाती थी। महात्मा बुद्ध से विशाखा, मिगार–माता[18], नकुलमाता गृहपत्नी[19] महाप्रजापति गौतमी आदि नारियों ने साक्षात् जाकर अपनी शंका का समाधान किया।[20] जिससे धार्मिक भावनाओं में उनकी स्वतंत्रता दृष्टिगोचर होती है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुआ। बौद्ध संघ की छत्रछाया में अनेक स्त्रियों ने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। परिवार में रहते हुए भी स्वतंत्रतापूर्वक बुद्ध, धर्म और संघ की सेवा करते हुए, धार्मिक कार्यों के लिए पर्याप्त दान देती थी तथा अनेक स्त्रियों ने स्वयं की विद्वता से संघ को गौरान्वित भी किया। डॉ. परमानन्द सिंह का अभिमत है कि महात्मा बुद्ध के विचारों का नारी–शिक्षा पर व्यापक प्रभाव रहा। तत्कालिन समाज में समतामूलक बुद्ध के विचारों और सिद्धान्तों में नारी चिन्तन को एक नया आयाम दिया। बुद्ध ने नारीयों की समाजिक मनोवैज्ञानिक निराशा को बदल कर वरदान की स्थिति लाने का प्रयास किया था, जो अन्ततोगत्वा उनके लिए अभिशाप सिद्ध हुई। तथागत ने नारियों को संघ में प्रविष्ट होने की अनुमति देकर तत्कालिन समाज की नरियों के बौद्धिक विकास एवं वैज्ञानिक पक्ष को दृढ़ किया। यह बुद्ध के विचारों का ही प्रभाव था कि एक मणिका जो वासना, विलास एवं भोग का केन्द्र थी, वह भिक्षुणी बन अशान्त विश्व की मानवता को शान्ति का पाठ पढ़ाने के लिए उद्यत हुई।[21]

सन्दर्भ :

1. चुल्लकलिंग जातक संख्या 301
2. परमानंद सिंह– बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज, पृ0सं0 116
3. अंगुत्तर निकाय भाग–2, पृ0 264
4. महाउम्मग जातक संख्या 546
5. महावंश गाथा 203–204
6. थेरीगाथा 126, 27, 28, इसिदासी 72/124–128
7. जातक संख्या– 62, 132, 233, 291, 263, 313
8. मांतग जातक संख्या 497
9. चुल्लपलोभन जातक संख्या 263
10. पदकुसनमाणव जातक, संख्या 432
11. कुसलाहं, गहपति, कप्यासं कन्तितुं वेणिं ओलिखितुं। छक्कनिपात सारणीयवग्गो नकुलपितुसुत्तं (अंगुत्तर निकाय)
12. संयुक्तनिकाय, चुल्लपज्नुत्रधीतुसुत्त, पृ0 29
13. विनयपिटक, भिक्षुणी स्कन्धक, पृ0 519–20
14. थेरीगाथा 42/87–88, पृ0 361
15. संयुक्त निकाय, भाग–1, पृ0 109
16. संयुक्त निकाय, 5, 2, भाग–1, पृ0 109–9
17. सुलसा जातक, 418
18. अंगुत्तर निकाय, भाग–3, पृ0 329–335
19. अंगुत्तर निकाय, पृ0 339
20. अंगुत्तर निकाय, पृ0 334
21. डॉ. परमानन्द सिंह, बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज, पृ 127–129